**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 13 वर्ष 2018-19**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** के माह 06/2015 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री आलोक कुमार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21/05/2018 से 25/05/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानू प्रताप सिंह, श्री एस. एस. दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पारस शर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03/06/2015 से 08/06/2015 तक..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(2) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः.....

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) ₹ | बचत (-) ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय लाख | आवंटन | व्यय | | |
| 2015-16 | N.A. | NIL | N.A. | - | 89.91 | 89.91 | - | - |
| 2016-17 | N.A. | NIL | - | - | 103.06 | 103.06 | - | - |
| 2017-18 | N.A. | NIL | - | - | 115.17 | 115.17 | - | - |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |

(iii) इकाई का बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है ।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह No Cash book is being maintained को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(vi) ....N.A.....का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन.....N.A..... व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-II 'ब'

**प्रस्तर 1- वित्तीय नियमो के विपरीत भूमि अधिग्रहण के बिना कार्य प्रारंभ किये जाने के कारण कार्य का बाधित होना एवं उद्देश्य की पूर्ति ना होना ।**

**वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के प्रस्तर 378 के अनुसार - "No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers".**

जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अंतर्गत मल्लीताल बाज़ार में देघाट तक जिलापरिषद मार्ग को मोटर मार्ग में एवं इस मार्ग पर विनोद नदी पर बरतिया में 36 मीटर स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु के निर्माण कार्य हेतु ₹ 425.43 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी (22/03/2016) । कार्य की तकनीकी स्वीकृति सामान धनराशि की मुख्य अभियंता, लो. नि. वि., अल्मोड़ा, द्वारा प्रदान की गयी थी (29-8 2016) निर्माण कार्य हेतु अनुबंध संख्या 36/SE-1/16 dated 30-12-16, जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ की एवं कार्य समाप्ति की तिथि 30-12-2016 एवं 29-12-17 थी ।

उक्त कार्य के संबंध में अधीक्षण अभियंता प्रथम वृत, अल्मोड़ा कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान संबंधित कार्य की पत्रावली की जॉच में पाया कि उक्त नियमो के विपरीत पूरी तरह से भूमि अधिग्रहण किये बिना ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया था मार्ग के संरेखन में पड़ने वाले नाप भूमि के मालिको द्वारा विवाद/शिकायत कर दिया गया जिसके कारण बाधित था एवं कार्य समाप्ति की तिथि 30-12-2016 के बाद भी वर्तमान तक (मई 2018 ) कार्य अपूर्ण था । वर्तमान तक कार्य की वितीय प्रगति तकनीकी स्वीकृति ₹ 369.59 लाख के सापेक्ष केवल ₹ 42.92 लाख ही थी ।

प्रकरण इगिंत करने पर इकाई ने उत्तर में अवगत कराया कि "इस सम्बन्ध में स्थल का निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है शियाकत कर्ता के नाम संयुक्त खाते में 0.126 हैक्टयेर नाप है जो प्रभावित हो रही है यह खाता कुल 10 व्यक्तियों से सम्बंधित है जिसकी प्रतिकर पत्रावली सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय भेजी गयी है सत्यापन के उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

इकाई के उत्तर से स्वत: ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि हो जाती है ।

प्रकरण उच्चाधिकरियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तर 2 - ₹21.51 लाख की एलडी की वसूली न किए जाना |**

Clause 4.5 of GPW-9 - if the whole work upto the fourth milestone is not completed within the scheduled of rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor.

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं. 41/XXXVII (7) /2008 दिनांक 19.5.2016 द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में संशोधन कर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली 2016 बनाई गई है, जिसमें मूल नियम -3 के उपनियम - 10 में संशोधन कर एक परन्तुक निम्नवत जोड़ दिया गया है।

"परन्तु यह कि कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्यहित में एवं कार्य के त्वरित संपादनार्थ सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग - VI के प्रस्तर 369 का अनुपालन करते हुए व्यवहारिक होने की दशा में यथा आवश्यकता कार्य को छोटे - छोटे भागों में विभाजित किया जा सकेगा" ।

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र - रानीखेत के अंतर्गत रानीखेत- गगास मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2336/III(2)/16-46(प्रा॰आ॰)/2016 दिनाक 19.08.2016 द्वारा लम्बाई 06 किमी॰ हेतु लागत रु॰ 271.71 लाख की प्राप्ति हुई थी। इसकी प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 4469/03 याता॰-अ/2016 दिनाक 07.09.2016 के द्वारा प्रदान की गई।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि उपरोक्त कार्य को छह बराबर भागो मे विभाजित कर अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो.नि.वि., रानीखेत के द्वारा समाचार पत्र हिंदुस्तान में दिनांक 13.10.2016 को अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की गई थी।

आगे लेखा परीक्षा मे पाया गया कि 6 कि0मी0 लंबाई के कार्य को पूर्ण करने हेतु 6 अनुबंध (35/SE, 89/EE, 90/EE, 96/EE, 91/EE एवं 61/EE) ₹215.08 लाख गठित किए गए| उक्त अनुबंध के कार्य पूर्ण करने कि तिथि (दिसंबर17 / जनवरी18) थी | इस प्रकार उक्त गठित किए गए 6 अनुबंधो के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि से आतिथि तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है अथवा यदि हुआ भी है तो नियत तिथि के बाद, साथ ही किसी भी ठेकेदार को समय वृद्धि नहीं दी गयी है न ही किसी पर भी ठेकेदार के देयकों से LD की कटौती की गयी।

उपरोक्त नियमों के अन्तगर्त कार्य को त्वरित सम्पादन कराने हेतु कार्य को छोटे - छोटे भागों में विभाजित कर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई फिर भी कार्य नियत तिथि पर पूर्ण न होने से कार्य को त्वरित सम्पादन कराने के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी।

खंड ने अपने उत्तर मे बताया कि धनावांटन की कमी / वर्षा ऋतु के कारण समयवृद्धि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए है इसीलिए LD कटौती नहीं की गई है एवं अनुबंध का अंतिमीकरण करते समय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार के किसी भी देयकों से आतिथि तक (मई 2018) कोई भी एलडी कटौती नहीं की गयी है। वर्षा ऋतु का समय पहले से मालूम रहता है जिसे अनुबंध गठित करते समय वर्षा ऋतु का समय शामिल करते हुए ही अनुबंध की अवधि निर्धारित की जाती है साथ ही ठेकेदारों के कार्य के किए जाने के प्रगति के अनुसार तीसरे / दूसरे रनिंग देयकों का भुगतान किया गया है पर जब कार्य ही पूर्ण नहीं हुआ तो अनुबंध का अंतिमीकरण किया जाना कैसे संभव था अतः धनावांटन की कमी का तर्क मान्य नहीं है।

अतः ₹ 21.51 लाख (कुल अनुबंध लागत ₹215.08 का 10%) की एलडी की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है |

---

**भाग-III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | स्टैन |
|---|---|---|---|
| 241/1990-91 | - | 2 | |
| 235/1991-92 | - | 2 | |
| 49/2006-07 | 1 | 1,2 | |
| 15/2015-16 | - | 1 | 1 |
| | | | |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| | | | उच्चाधिकारियों की संस्तुति के अभाव में अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। | |

**भाग-IV**

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- शून्य -

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो.नि.वि., अल्मोड़ा का कार्यभार वहन किया गया**

| **क्रम सं0** | **नाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| (i) | श्री योगेश लाल शैल | 27/04/2015 से 02/11/2016 तक |
| (ii) | श्री हरीश पांगती | 02/11/2016 से 04/05/2017 तक |
| (iii) | श्री अनिल पांगती | 15/05/2017 से 18/05/2017 (अति.चार्ज) |
| (iv) | श्री हरीश पांगती | 19/05/2017 से 14/06/2017 तक |
| (v) | श्री अनिल पांगती | 15/06/2017 से 16/07/2017 (अति. चार्ज) |
| (vi) | श्री हरीश पांगती | 17/07/2017 से 20/09/2017 तक |
| (vii) | श्री पी.एस. बृजवाल | 21/09/2017 से 10/10/2017 (अति. चार्ज) |
| (viii) | श्री हरीश पांगती | 11/10/2017 से 03/11/2017 तक |
| (ix) | श्री पी.एस. बृजवाल | 06/11/2017 से 21/11/2017 (अति.चार्ज) |
| (x) | श्री हरीश पांगती | 22/11/2017 से 25/11/2017 तक |
| (xi) | श्री दिवाकर सिंह हयांकि | 25/11/2017 से अब तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**

**आर्थिक खण्ड-II**